बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- प्र0-3/ल0ज0सं0(अपील)-55/2026

विषयः- संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089) पता- रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 का अपील अभ्यावेदन के संबंध में ।

आदेश

संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089), पता- रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 को मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश संख्या-46 सह-पठित ज्ञापांक-688 दिनांक-06.05.2026 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के तहत अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक-18.05.2026 को समर्पित किया गया ।

2. लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0-14/2021-22 के ग्रुप सं0-05 जुझारपुर पईन योजना का जीर्णोद्धार कार्य की तकनीकी निविदा में संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार, मेसर्स न्यासा इन्टरप्राईजेज द्वारा संलग्न किये गये डोजर मशीन का अभिलेख फर्जी पाये जाने के कारण संवेदक को कालीकृत किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया । तदालोक में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-332 दिनांक-20.04.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश वाद सं0-7195/2023 मेसर्स न्यासा इन्टरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

3. उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-15.05.2023 को न्यायादेश पारित कर उक्त वाद को समादेश याचिका सं0-4726/2023 के समरूप मानते हुये, तत्कालीन निबंधन पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं मानते हुए मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा किये गये कारण पृच्छा को निरस्त कर दिया गया ।

4. समरूप मामला समादेश याचिका सं0-4726/2023 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-20.04.2023 के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका सं0-26443/2023 दायर किया गया । उक्त विशेष अनुमति याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-08.01.2024 को अन्तरिम आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दिया गया ।

5. तदोपरांत अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-528 दिनांक-30.04.2024 द्वारा संवेदक से पुनः कारण पृच्छा की गयी । संवेदक का जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-219 दिनांक-20.03.2025 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, जिसके उपरांत संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-01.04.2025 द्वारा डोजर के कागजात को फर्जी पाये जाने हेतु किये गये जाँच प्रतिवेदन की पूर्ण प्रक्रियावार प्रति उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

6. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-668 दिनांक-21.07.2025 द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को निदेशित किया गया, जिसके आलोक में मुख्य अभियता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-360 दिनांक-20.02.2026 एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना के पत्रांक-557 दिनांक- 28.02.2026 एवं पत्रांक-344 दिनांक-03.04.2026 द्वारा डोजर मशीन के अभिलेख की जाँच से संबंधित अभिलेख मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया ।

7. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-433 दिनांक-20.03.2026 द्वारा वांछित कागजात संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार को उपलब्ध कराते हुये कारण पृच्छा का जबाव एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जिसके विरूद्ध संवेदक द्वारा एक अन्य समादेश वाद सं0-7668/2026 दायर किया गया है । संवेदक का जबाव अप्राप्त रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) कार्यालय के पत्रांक-555 दिनांक-13.04.2026 द्वारा संवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम रूप से स्मारित किया गया ।

D:Alok/CWJC 2026

9/

8. संवेदक का जवाब अप्राप्त रहने के कारण मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0) लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश ज्ञापांक-688 दिनांक-06.05.2026 द्वारा संवेदक मेसर्स न्यासा इन्टरप्राइजेज को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 में निहित प्रावधान के तहत अगले 10 वर्षों के लिए कालीकृत कर दिया गया ।

9. संवेदक द्वारा दायर समादेश वाद सं0-7668/2026 मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-25.06.2026 को न्यायादेश पारित करते हुए कतिपय निदेश के साथ वाद को निष्पादित कर दिया गया है । उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है -

"At the outset, the learned counsel for the petitioner submits that during the pendency of the present writ petition, the blacklisting order has been passed by the respondents qua the petitioner herein, which has been challenged by the petitioner by filing an appeal before the Principal Secretary, Minor Irrigation Department, Government of Bihar, Patna, hence, the same be directed to be disposed of expeditiously.

The learned counsel for the respondents submits that if it is true that the petitioner has filed an appeal, the same would definitely be disposed of by the Principal Secretary, Minor Irrigation Department, Government of Bihar, Patna within a period of six weeks from today. It is directed accordingly.

The present writ petition stands disposed of on the aforesaid term."

10. उक्त न्यायादेश के आलोक में संवेदक श्री हरेन्द्र कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-17.07.2026 को सुनवाई की गयी, जिसमें अपीलकर्ता एवं मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना व्यक्तिशः रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें ।

11. मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा बताया गया कि उक्त निविदा में डोजर मशीन के अभिलेख की आवश्यकता नहीं थी परन्तु निविदा में फर्जी अभिलेख संलग्न किया जाना आपराधिक कृत्य के साथ-साथ निविदा शर्तों का उल्लंघन है ।

12. सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि निविदा में संलग्न डोजर मशीन का विपत्र फर्जी है परन्तु उक्त योजना की निविदा में डोजर मशीन की मांग नहीं की गयी थी । साईबर कैफे द्वारा भूलवश अपलोड कर दिया गया है । संवेदक द्वारा समर्पित शपथ-पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि - "मेरे द्वारा भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही की जायेगी एवं भविष्य में कोई अन्य मामला मेरे विरूद्ध पाये जाने पर मुझे बिना किसी स्पष्टीकरण के काली सूची में डाल दिया जाय ।"

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय आदेश सं0-46 सह-पठित ज्ञापांक-668 दिनांक-06.05.2026 को निरस्त/रद्द करते हुए अपीलकर्ता संवेदक मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज (प्रो0- श्री हरेन्द्र कुमार, निबंधन सं0-MWRD0621C2PR2089), पता-रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236 को इस प्रकार की कृत्य की पुनरावृति नही करने की चेतावनी दी जाती है । साथ ही इस आदेश के निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए इस शर्त्त के साथ कालीकृत किया जाता है कि भविष्य में इस तरह की घटना के संज्ञान में आने पर नियमानुसार पुनः काली सूची में सम्मिलित कर दिया जायेगा एवं इस तरह के कृत्य की पुनरावृति किये जाने पर उनके विरूद्ध प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की जा सकती है ।

23/07

(बी0 कार्तिकेय धनजी)
(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 4856 /पटना, दिनांकः- 23/7/26

प्रतिलिपिः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/07

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

ज्ञापांकः- 4856 /पटना, दिनांकः- 23/7/26

प्रतिलिपिः- **स्पीड पोस्ट-** मेसर्स न्यासा इंटरप्राईजेज, प्रो0- हरेन्द्र कुमार, पता- रिकाबगंज ठेकारी, जिला-गया, पिन कोड-824236/मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/07

(सचिव)
लघु जल संसाधन विभाग ।

D:Alok/CWIC 2026

पत्रांक– 1214 /पटना, दिनांक– 30/07/2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, .../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, ...एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

30/7/2026

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

30/07/26